न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—6 / 2022 (2022 / 14) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. ओमप्रकाश पिता शिवलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दिनेश पिता शिवलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शान्तिदेवी पत्नि शिवलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मिठुड़ी पत्नि मांगु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भूरा पिता नंगजीराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. दौला पिता कजोड़ खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रेमदेवी पत्नि डालु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भैरू पिता डालु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. छगनलाल पिता खेमा खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. चान्दी पत्नि भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मोडीबाई पत्नि उदयराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रामचन्द्र पिता उदयराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शान्तिलाल पिता भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायणलाल पिता प्रभुलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भैरू पिता रत्ता खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हीरा पिता लखमा खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शिवलाल पिता भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. कन्हैयालाल पिता रामलाल ढ़ोली निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लादु पिता गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मनोहर पिता नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:37:06 IST
Reason: SelfAttested

नि[illegible] दिनांक 15.02.2022

पत्रावली आज पेश [illegible] विवरण इस प्रकार है ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाल [illegible] आबादी [illegible] र्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता स[illegible] 132 में अकिंत आ[illegible] संख्या 891 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 893 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 894 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 06.12.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 03.01.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 132 में अकिंत आराजी संख्या 891 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 893 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 894 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:37:06 IST
Reason: SelfAttested

15.02.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—6 / 2022 (2022 / 14) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. ओमप्रकाश पिता शिवलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दिनेश पिता शिवलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शान्तिदेवी पत्नि शिवलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मिठुड़ी पत्नि मांगु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भूरा पिता नंगजीराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. दौला पिता कजोड़ खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रेमदेवी पत्नि डालु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भैरू पिता डालु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. छगनलाल पिता खेमा खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. चान्दी पत्नि भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मोडीबाई पत्नि उदयराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रामचन्द्र पिता उदयराम खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शान्तिलाल पिता भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायणलाल पिता प्रभुलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भैरू पिता रत्ता खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हीरा पिता लखमा खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शिवलाल पिता भैरूलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. कन्हैयालाल पिता रामलाल ढ़ोली निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लादु पिता गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मनोहर पिता नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट
प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.12.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 132 में अकिंत आराजी संख्या 891 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 893 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 894 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर [illegible] आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये [illegible] नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक [illegible] एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:37:06 IST
Reason: SelfAttested

15.2.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा